तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहका[…] हुक्म […] में ज[…]
19-1-2021	लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि उप० साक्ष्य हेतु समय चाहते है। वास्ते साक्ष्य दि० 21-1-2021 को पेश हो।	
21-1-2021	~~पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/~~ लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् ~~पीठासीन~~ अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3-2-2021 को पेश हो। रीडर	
3-2-2021	पत्रावली पेश हुई। लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी उप० लैण्ड होल्डर ने स्वयं के बयान दर्ज करवा कर अपनी साक्ष्य पूर्ण की। वास्ते बहस पत्रावली दि० 9-2-2021 को पेश हो।	
9/2/21	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। भूमि ख.न. 596/478 रकबा 0.45 है. ग्राम दौलतपुर की भूमि को सिवायचक घोषित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रा. मे शामिल किया गया। पत्रावली केहल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:22 IST
Reason: SelfAttested

96/2019 5.08.2019 9.2.2021

सरकार जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रार्थी

बनाम

उमर खान पुत्र बली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी राजीव कॉलोनी, गंगापुर सिटी —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :—लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

निर्णय

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर. टी. एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम दौलतपुर पटवार मंडल आस्ट्रोली के आराजी ख0न0 596/473 रकबा 0.45 है0 उमर खान पुत्र बली मोहम्मद, जाति मुसलमान निवासी राजीव कॉलोनी, गंगापुर सिटी के नाम जमाबंदी संवत 2070—2073 खातेदारी मे दर्ज है। उक्त आराजीयात मे अप्रार्थी ने बिना किसी सक्षम स्वीकृत के भूमि को कृषि से अकृषि में रूपान्तरित किया है। भूमि ख0न0 596/473 रकबा 0.45 है0 कृषि भूमि है। जिसमे अप्रार्थी द्वारा बिना कोई भू परिवर्तन कराये कृषि भूमि को अकृषि मे परिवर्तित किया है जो अवैधानिक है तथा राजस्थान काश्तकारी नियमों के विपरीत है और भूमि का सिवायचक घोषित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख0न0 596/473 रकबा 0.45 है0 ग्राम आस्ट्रोली को सिवायचक घोषित किया जावे एवं अप्रार्थी को भूमि से बेदखल किया जावे। भूमि को कब्जा राज मे लिया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ। अतः इसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 50, नकल नक्शा ट्रेस, प्रतिवेदन रिपोर्ट दिनांक 27.5.2019 एवं न्यायालय तहसीलदार गंगापुर सिटी दिनांक 29.7.2019 उनवानी मुकदमा सरकार बनाम उमरखान पुत्र बली मोहम्मद का निर्णय की प्रति पेश किए हैं एवं बयान प्राथी तहसीलदार गंगापुर सिटी के कराए हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:22 IST
Reason: SelfAttested

कलेक्टर (सं०मा०)

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए कहा कि अप्रार्थी ने कृषि भूमि को बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि के रूप मे उपयोग मे लिया है जिसके बारे मे अप्रार्थी को कई बार अवगत करा देने के बाद भी अप्रार्थी द्वारा भू उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही नही की है, इस कारण उक्त भूमि को सिवायचक घोषित किया जावे, अप्रार्थी को भूमि से बेदखल किया जावे एवं भूमि को कब्जे राज मे लिया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 50 में उमरखान पुत्र अली मौहम्मद के नाम वादग्रस्त भूमि खातेदारी मे अंकित है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 27.5.2019 के अनुसार खातेदार द्वारा भूमि का उपयोग प्लाट काटकर एवं मोरम डालकर अकृषि प्रयोजनार्थ किया जा रहा है। तहसीलदार गंगापुर सिटी के द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध की गई धारा 91 एल. आर.एक्ट सहपठित धारा 90 ए लैण्ड रेवेन्यु एक्ट मे कार्यवाही की गई है। इस अभिलेख से खातेदार द्वारा वादग्रस्त भूमि का सक्षम स्वीकृति के बिना कृषि से अकृषि मे भूमि परिवर्तन किया जाना पाया जाता है। खातेदार अप्रार्थी का यह कार्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्यवाही किये जाने योग्य है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 596/473 रकबा 0.45 है0 ग्राम दौलतपुर को सिवायचक घोषित किया जाता है। यह भूमि खातेदार अप्रार्थी की खातेदारी से कम की जाकर सिवायचक दर्ज की जावे एवं कब्जेराज मे ली जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.2.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:22 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी